

2.7. परीक्षित लेखा

आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सीएजी एम्पैनेल्ड चार्टर्ड अकाउण्टण्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए लेखा निम्न हैं।

वर्ष 2013-2014 का भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग के वार्षिक लेखें

आयुष विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचकांक

क्र. सं.	विवरण
	प्लान
1.	पीसीआईएम की बैलेंस शीट
2.	पीसीआईएम के आय और व्यय खाते
3.	पीसीआईएम की रसीद और भुगतान खाते
4.	पीसीआईएम की बैलेंस शीट एवं आय और व्यय अनुसूची
5.	अनुसूची 6
6.	अनुसूची 7

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
31.03.2014 का तुलन पत्र

निधि/ पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
निधि/पूंजी निधि	4	8,575,694.00	11,158,139.00
चिह्नित/समर्पित निधि	-	-	-
चालू देयताएं प्रावधान	-	-	-
योग		8,575,694.00	11,158,139.00
परिसंपत्ति			
स्थायी सम्पत्तियां	-	-	
निवेश- अन्य	-	-	
चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम	5	8,575,694.00	11,158,139.00
योग		8,575,694.00	11,158,139.00
अहम लेखा नीति	6	-	-
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणीयां	7	-	-

ह./-
 एन. के. एस. चौहान
 चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
 लेखा अधिकारी,
 कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई
 दिल्ली

ह./-
 निदेशक
 भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
 संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
 कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
31.03.2014 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(अ) आय	अनुसूची	राशि (रुपयों में)	
		चालू वर्ष	गत वर्ष
आयोजना			
अनुदान/सहायता	1	-	11,250,000.00
अर्जित ब्याज	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
योग	-	-	11,250,000.00
* (ब) व्यय			
स्थापना व्यय	2	11,516.00	314,043.00
प्रशासनिक व्यय	3	2,570,929.00	1,203,651.00
अनुदान सहायता पर व्यय		-	-
मूल्यह्रास		-	-
योग		2,582,445.00	1,517,694.00
व्यय से अधिक हुई आय पर शेष (अ-ब)		(2,582,445.00)	(9,732,306.00)
अधिशेष पर शेष/ (घाटा) घाटे की ओर ले जाना/ पूंजी कोष		(2,582,445.00)	(9,732,306.00)
महत्त्वपूर्ण लेखा निति	6	-	-
आकस्मिक देयता और लेखों पर टिप्पणी	7	-	-

ह./-
 एन. के. एस. चौहान
 चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
 लेखा अधिकारी,
 कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई
 दिल्ली

ह./-
 निदेशक
 भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
 संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
 कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

विवरण	धनराशि		विवरण	धनराशि (रु.)	
प्रारंभिक शेष			स्थापना व्यय		
हाथ की नकदी	-	-	वेतन एवं भत्ता	-	11,516.00
बैंक में नकदी	11,158,139.00	11,158,139.00			
			प्रशासनिक व्यय		
अनुदान की प्राप्ति			आकस्मिक	2,120,291.00	
	-	-	यात्रा भत्ता/ सिटिंग फीस	450,638.00	2,570,929.00
अन्य प्राप्ति	-	-	अंत शेष	-	-
			हाथ की नकदी	-	-
			बैंक शेष	8,575,694.00	8,575,694.00
योग		11,158,139.00	जोड़		11,158,139.00

ह./-
 एन. के. एस. चौहान
 चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
 लेखा अधिकारी,
 कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई
 दिल्ली

ह./-
 निदेशक
 भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
 संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
 कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद

31.03.2014 को समाप्त अवधि का आय और व्यय लेखा का भाग करने वाली अनुसूची

अनुसूची 1 – निधि/ पूंजी निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
1) केंद्र सरकार		11,250,000.00
योग		11,250,000.00

अनुसूची 2 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
वेतन, मजदूरी और भत्ते	11,516.00	314,043.00
योग	11,516.00	314,043.00

अनुसूची 3 –अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
आकस्मिकता	2,120,291.00	1,203.651.00
यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता सिटिंग फीस	450,638.00	
योग	2570929.00	1,203,651.00

अनुसूची 4 – निधि/ पूंजी निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	11,158,139.00	1,425,833.00
जोड़िए : निधि के प्रति योगदान/ पूंजी निधि	-	-
घटाइये: आय और व्यय खाते का डेफिसिट	2,582,445.00	9,732,306.00
योग	8,575,694.00	11,158,139.00

अनुसूची 5 – चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बैंक शेष (बचत खाते पर)		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
बचत खातों पर	8,575,694.00	11,158,139.00
जोड़	8,575,694.00	11,158,139.00

ह./-
एन. के. एस. चौहान
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
लेखा अधिकारी,
कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई दिल्ली

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
31.03.2014 को समाप्त अवधि का आय और व्यय लेखा का भाग करने वाली अनुसूची

अनुसूची 7 – महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (सोदाहरण)

1. लेखांकन: वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी और प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किया जाता है।
2. वस्तुसूची मूल्यांकन: भंडारों (मशीनरी और अतिरिक्त पुर्जों सहित) का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।
3. स्थिर परिसम्पत्तियां: स्थिर परिसम्पत्तियां का विवरण, अधिग्रहण से संबंधित आनुशांगिक और प्रत्यक्ष व्यय और करों हित अधिग्रहण लागत के आधार पर दिया जाता है तथा लागत के आधार पर उन्हें पूंजीकृत किया जाता है।
4. मूल्यहास: स्थिर परिसम्पत्तियों का मूलांकन लागतहीन संचयन मूल्याहास के आधार पर किया जाता है संबंधित वर्ष की स्थाई परिसम्पत्तियों का मूल्यहास निम्नलिखित दरों में परिसंपत्तियों का मूल्य दिया गया है।

मद	मूल्यहास की दरें
भवन	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहनों, आवश्यक उपस्कर और कार्यालय उपस्कर	15%
प्रयोगशाला और अस्पताल उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी	15%
कम्प्यूटर और पुस्तकालय पुस्तकें	60%

आयकर नियमों, 1962 के नियम 5 के परिशिष्ट -1 में प्रदान किए गए आयकर नियमों से मूल्यहास की दर से ऊपर अपनाया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त के संबंध में वित्तीय मूल्य के दौरान परिसंपत्तियों के मामले में भी लागू किया जाता है। नियत संपत्ति अनुदान सहायता और परियोजनाओं से निर्मित अनुदान सहायता से उत्पन्न संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।

5. सरकारी अनुदान/ सहायता: सरकारी अनुदान वर्ष के दौरान पूंजीकृत में आय और व्यय का विवरण प्राप्तियों के आधार पर खाते में लिया गया है।
6. सेवानिवृत्ति/ हितलाभ: मृत्यु पर उपदान का भुगतान/ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति वास्तविक आधार पर ली गई है।

ह./-
एन. के. एस. चौहान
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
लेखा अधिकारी,
कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई
दिल्ली

ह./-
निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

वित्तीय विवरण का फॉर्म (गैर लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
31.03.2014 को समाप्त होने वाले अवधि के लिए खातों की अनुसूची का निर्माण भाग

अनुसूची 6: लेखा पर हस्ताक्षर किए जाने वाले उत्तरदायित्व और नोट्स (अनौपचारिक)वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम:

1. वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों के पास व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्ति पर मूल्य है, जो कम से कम समतुल्य राशि को बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

2. कराधान

कराधान को देखते हुए, गैर-लाभकारी संगठन होने के नाते, वर्ष 2014-15 के लिए परिषद के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य में आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है (आयकर अधिनियम, 19 61 के अनुसार

आकलन वर्ष 2015-16)

3. पिछले वर्ष के समान आंकड़े फिर से संगठित / पुनर्संगणित किए गए हैं, जहां भी आवश्यक हो।

4. अनुसूचियां और अनुलग्नक 31.03.2015 को अनुलग्नित किए गए हैं और बैलेंस शीट का अभिन्न अंग बनाते हैं और आय व्यय और रसीद-भुगतान खाते।

5. आंकड़े निकटतम रुपये में गोल कर दिए गए हैं।

6. क. वास्तविक व्यय आधार पर आय व्यय और रसीद भुगतान खातों को तैयार किया गया है। आय-व्यय खाते के बदले अग्रिमों पर व्यय को बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जैसे कि आय और व्यय खाते सकल व्यय की तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

ख. आय और व्यय खाते (+) में दी गयी वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए, कुल व्यय, बैलेंस शीट में गिरावट,

7. सेविंग एंड फिक्स्ड राशियों में जमा पर ब्याज, सनसबेज 7 (प्रोविजन) और अनुसूची 11 (बी) में प्रोब्डवन आधार पर दिखाया गया है।

8. स्वायत्त निकायों के वार्षिक खातों के स्वरूप के अनुसार अन्य कार्यक्रम, जो पीसीआईएमएच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, यहां शामिल नहीं किए गए हैं।

ह./-

एन. के. एस. चौहान
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-

लेखा अधिकारी,
कें.आ.वि.अनु. परिषद्, नई
दिल्ली

ह./-

निदेशक
भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज
संहिता आयोग, पी.एल.आई.एम. परिसर,
कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद

2.8. पृथक ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर)

सीएजी, इलाहाबाद द्वारा आयोग के खातों की ऑडिट 13-17 फरवरी, 2017 की अवधि दौरान की गई थी। सीएजी द्वारा दी गई पृथक ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) अनुलग्नक -1 में संलग्न है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:

हमारे द्वारा भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद में 31 मार्च, 2014 तक की संलग्न शेष पत्र की लेखापरीक्षा आयोजित की गयी, धारा 20 (1) के तहत उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अध्ययन के साथ नियम 13.2 के तहत आयोग के ज्ञापन और नियम और विनियमन 2014 के तहत किया गया। लेखा परीक्षा का कार्य 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी में वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धति के अनुसार लेखा मानकों, प्रतिमानकों का प्रकटीकरण शामिल है। वित्तीय लेन देन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण संबंधी लेखा विधि, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं विनियामक) के अनुसार तैयार किया गया है तथा कार्यकुशलता सह संपादन पक्ष, यदि कोई है तो, को जांच प्रतिवेदन/नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पृथक महालेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किया गया है।
3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों में आवश्यक है कि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त किया जाए कि वित्तीय विवरण वास्तविक रूप में दिए गए हैं, हमने लेखा परीक्षा योजित और निष्पादित की है। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों एवं प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षा में अपने विचारों को उचित आधार पर प्रस्तुत किया है।
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हमने प्रतिवेदित किया है कि:
 - (i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे जरूरी हैं;
 - (ii) इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए शेष राशि पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं; तथा
 - (iii) हमारी राय में खातों की उचित किताबें और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को आयोग की ज्ञापन विधि और नियमों और विनियमन 2014 के नियम 13.1 के तहत जरूरी बनाए रखा गया है, जहां तक हमारी ऐसी पुस्तकों की परीक्षा से प्रतीत होता है।
 - (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि;

(क) सामान्य

लेखाकार्य मानक -15 के उल्लंघन में आयोग ने बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान नहीं किया था

(ख) अनुदान सहायता

वर्ष 2013-14 के दौरान, आयोग को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, बिना अव्ययित योजना के अनुदान का गत वर्ष से 111.58 लाख उपलब्ध हुए जिसमें से आयोग ने 25.82 लाख (योजना) राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2014 को 85.76 लाख (योजना) अथ शेष राशि छोड़ दी गई थी

- (v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित शेष पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते/खातों की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।
- (vi) हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरणों को लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों पर लेखों के साथ मिलकर पढ़ा जाता है और ऊपर उल्लेखित महत्वपूर्ण मामलों और अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक यह 31 मार्च 2014 तक भारतीय चिकित्सा एवं भेषज संहिता आयोग के मामलों के राज्य के शेष पत्र से संबंधित है; तथा

ख) जहां तक यह उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा 2013-14 के दौरान आयोजित नहीं की गई क्योंकि आयोग के पास अपनी स्वयं की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी। आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल भी आयोग द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ने निम्नलिखित कमियों को दर्शाया:

- आंतरिक लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित नहीं किया गया था।
- शीर्ष प्रकार जर्नल और लेजर के रखरखाव का अभाव।
- 85.75 लाख की बकाया निधियों का निवेश न किया गया।

3. अचल परिसम्पत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई अचल संपत्ति नहीं खरीदी गई थी, इसलिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन आवश्यक नहीं था।

4. माल के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था।

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भंडार मद / संपत्ति नहीं खरीदी गई थी, इसलिए माल का भौतिक सत्यापन आवश्यक नहीं था।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

आयोग की वैधानिक देय राशि का भुगतान नियमित रूप से किया गया था और 31 मार्च 2014 को इसके खिलाफ कोई बकाया लंबित नहीं था।


अस्वीकरण/DISCLAIMER

भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग के इस वार्षिक प्रतिवेदन के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों में यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो अंग्रेजी संस्करण को मान्य माना जायेगा।

In case of any discrepancy among Hindi and English versions of this Annual Report of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine, the English version will be treated as authentic.

2.7 Audited Accounts

The Annual accounts duly verified by the CAG empanelled Chartered Accountant appointed by Commission are placed below.



Schedule 6

Schedule 7

Index

Sr. No.	Description	Page No.
	PLAN	
1	PCIM Balance Sheet	1
2	PCIM Income & Expenditure Accounts	2
3	PCIM Receipt & Payment Accounts	3
4	PCIM Balance Sheet and Income & Expenditure Schedule	4
5	Schedule 6	5
6	Schedule 7	6

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
Name of Entity - PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2014

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous year
Corpus/Capital Fund	4	8,575,694.00	11,158,139.00
Earmarked/Endowment Funds		-	-
Current Liabilities and Provisions		-	-
TOTAL		8,575,694.00	11,158,139.00
ASSETS			
Fixed Assets			
Investment-Others			
Current Assets, Loans, Advances	5	8,575,694.00	11,158,139.00
TOTAL		8,575,694.00	11,158,139.00
Significant Accounting Policies	6		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	7		

CA NKS CHAUHAN
M.Ship No. - 088165



Dr. Puri
 Director
 PCIM

Mrs. M. G. Shanikar
 Director
 PCIM

R. Chelam
 Director / Director
 Pharmacoepoeia Commission for Indian Medicine
 Ministry of Health & Family Welfare
 Government of India

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
Name of Entity - PHARMACOPEDIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE
Income Expenditure Account for the Period/Year Ended 31-3-2014

(A) INCOME		(Amount Rs.)	
PLAN	Schedule	Current Year	Previous year
Grant/Subsidies	1	-	11,250,000.00
Interest Earned		-	-
Other Income		-	-
TOTAL		-	11,250,000.00
* (B) EXPENDITURE			
PLAN			
Establishment Expenses	2	11,516.00	314,043.00
Other Administrative Expenses	3	2,570,929.00	1,203,651.00
Expenditure on Grants Subsidies		-	-
Depreciation		-	-
TOTAL		2,582,445.00	1,517,694.00
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) PCIM		(2,582,445.00)	9,732,306.00
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(2,582,445.00)	9,732,306.00
Significant Accounting Policies	6		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	7		

CA NKS CHAUHAN
M.Ship No. - 088165

M.S. Chauhan
 प. सं. फार्मासी
 (अनुसंधान)
 ए. सं. सं. सं.
 अस्पताल

N.S.

R. Chandra
 Director
 Central In-house Drug Unit,
 Pharmacopodia Commission for Indian Medicine
 Ayurveda Deptt. / AYUSH
 Ministry of Health & Family Welfare
 Government of Chhattisgarh-491002



FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
Name of Entity - PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE
Receipt & Payment Account For the Year Ended 31st March 2014

Particulars	Amount		Particulars	Amount
Opening Balance			Establishment Expenses	
Cash in Hand	-		Salary	11,516.00
Bank Balance	11,158,139.00	11,158,139.00		
			Administrative Expenses	
			Contingency	2,120,291.00
			T/A/DA Sitting fees	450,638.00
Grant Received				2,570,929.00
			Closing Balance	
			Cash in Hand	-
			Bank Balance	8,575,694.00
Total		11,158,139.00	Total	11,158,139.00

[Signature]
 व. अ. शिरोडकर
 अध्यक्ष
 31.03.2014 को
 उपरोक्त का लेखा-1100.00



[Signature]

[Signature]
 Director
 Central Board of Secondary Education
 Ministry of Health & Family Welfare
 Government of India

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)

Name of Entity - PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE

Schedule Forming Part of Income and Expenditure Account for the Period Ended 31-03-2014

SCHEDULE 1-GRANTS/SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
1) Central Government		11,250,000.00
TOTAL		11,250,000.00

SCHEDULE 2- ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
a) Salary, Wages & Allowances	11,516.00	314,043.00
TOTAL	11,516.00	314,043.00

SCHEDULE 3 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	Current Year	Previous Year
a) Contingent	2,120,291.00	1,203,651.00
b) TA/DA Sitting fees	450,638.00	
TOTAL	2,570,929.00	1,203,651.00

Schedule 4- Corpus/ Capital Fund	Current Year	Previous year
Balance as at the beginning of the year	11,158,139.00	1,425,833.00
Add: Contribution towards corpus/Capital Fund		
Add/Deduct: Balance of net Income & Expenditure	2,582,445.00	9,732,306.00
TOTAL	8,575,694.00	11,158,139.00

SCHEDULE 5- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
I. Bank balances:		
a) With Scheduled Banks		
On Saving Account	8,575,694.00	11,158,139.00
Total	8,575,694.00	11,158,139.00

R. Madhu
 Director
 Pharmacy Commission for India
 1st Floor / Dept. of AYUSH
 Ministry of Health & Family Welfare
 Government of India



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity-Pharmacopoeia Commission For Indian Medicine
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2014

SCHEDULE 6 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. ACCOUNTING CONVENTION:

The Financial Statements have been prepared on the basis of historical cost convention and on Cash basis, unless otherwise stated and on the Cash method of accounts.

2. INVENTORY VALUATION:

Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at cost of acquisition of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses including interest on loans to specific project to its completion, form part of the value of the assets capitalized.

4. DEPRECIATION:

Depreciation on fixed assets for the year has been provided on the written down/diminishing value of assets at the following rates:

<u>Items</u>	<u>Rates of depreciation</u>
Building	5%
Furniture & Fixtures	10%
Vehicles, Essential Equip. & Office Equip.	15%
Lab & Hospital Equip, Plant & Machinery	15%
Computers & Library Books	60%

Above rates of depreciation have been adopted from the Income Tax Rules as provided in appendix I of Rule 5 of Income Tax Rules, 1962. In respect of additions to fixed assets during the year depreciation is also provided as applicable in case of assets during the financial year. Fixed assets represent assets created out of grant-in-aid, created out of earmarked fund and projects.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES:

Government grants capitalized during the year has been taken into account receipts basis in income and expenditure statement.

6. RETIREMENT BENEFITS:

Gratuity paid on death/retirement of employees is taken on actual basis.

Dr. Anshu
 ए. सी. निपाठी
 सहायक निदेशक
 सी. सी. ज्वार, प. एन.
 बंगलूरु काई दिल्ली-110085



M/S

R. Nathanael
 निदेशक / Director
 भारतीय विधिशास्त्र मेधा संस्था समूह,
 Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine
 ज्वार, बंगलूरु - ११००८५

FORM OF FINANCIAL STATEMENT (NON-PROFIT ORGANISATION)
Name of Entity- Pharmacopoeia Commission For Indian Medicine
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2014

SCHEDULE 7- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (ILLUSTRATIVE)

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES:

In the opinion of the Management, the Current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

2. TAXATION:

In view of Taxation, being a non-profit Organization, no provision of Income Tax has been provided in the Annual Financial Statements of the council for the year 2013-14 (Assessment Year 2014-15 as per Income Tax Act 1961)

3. Corresponding figures for the Previous Year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

4. Schedules & Annexures are annexed to and form an Integral Part of the Balance Sheet as at 31.03.2014 and the Income-Expenditure & Receipt-Payment Accounts.

5. Figures have been Rounded off to nearest Rupees.

6. (i) Income-Expenditure & Receipt-Payment Accounts have been prepared on actual expenditure basis. Expenditure on advances is shown in Balance Sheet instead of Income and Expenditure A/Cs as such Income and Expenditure accounts does not reflect the Picture of gross Expenditure.

(ii) Gross expenditure can be arrived at by taking into consideration the Actual Expenditure shown in Income & Expenditure A/Cs (+) Advances, depreciated in Balance Sheet.


7. Interest on Deposit at Saving & Fixed amounts has been shown in Schedule 7 (Provision) & Schedule 11(B) on Accrual Basis.

8. The other Schedule as per the format of Annual Accounts of Autonomous Bodies, Which are not relevant to PCIM, have not been included herein.



Director
Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine
New Delhi




Director
Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine
New Delhi / Dept. of AYUSH

2.8 Separate Audit Report (SAR)

Audit for Accounts of the Commission by the CAG, Allahabad for the reporting period was conducted during 13th - 17th February, 2017. The Separate Audit Report (SAR) as communicated by CAG is attached at Annexure-I.

Separate Audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine, Ghaziabad for the year ended 31 March, 2014

'त्वरित डाक'

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय इलाहाबाद
"सत्यनिष्ठा भवन" 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद-211001

पत्र सं०: स्वा नि. (कें)/एस.ए.आर. 50-1/2017-18/

दिनांक: 06.2017

सेवा में,

सधिय,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली-110108

विषय: फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाज़ियाबाद वर्ष 2013-14 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

इस पत्र के साथ फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, गाज़ियाबाद के वर्ष 2013-14 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) तथा वार्षिक लेखे की प्रति अग्रसारित की जा रही है।

- कृपया सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित लेखा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ।
- कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ-साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
- कृपया पत्र-प्राप्ति की सूचना दें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

पत्र सं०: स्वा नि. (कें)/एस.ए.आर. 50-1/2017-18/28

दिनांक: 02.06.2017

वर्ष 2013-14 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति निदेशक, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियोपैथी, एम ब्लॉक, संजय नगर, सेक्टर 23, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद-201002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित होना चाहिए :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

उप निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय शाखा)

25
12/6/17
[Signature]



[Signature]
24/5/17

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy, Ghaziabad for the year ended 31 March, 2014

We have audited the attached Balance Sheet of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (Commission), Ghaziabad as at 31st March, 2014, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under section 20 (1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 13.2 of Memorandum of Association and Rules and Regulation 2014 of the Commission. The audit has been entrusted for the period from 2013-14 to 2017-18. These financial statements are the responsibility of the Commission's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the accounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India; and
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained as required under rule 13.1 of Memorandum of Association and Rules and Regulation 2014 of the Commission in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that;

(A) General

Commission did not make provision for retirement benefits on actuarial basis in contravention of Accounting Standard-15.

(B) Grants-in-aid

During the year 2013-14, the Commission did not receive any grants-in-aid. However, out of unspent plan grant of ₹ 111.58 lakh available from previous year, the Commission utilised a sum of ₹ 25.82 lakh (Plan) leaving a closing balance of ₹ 85.76 lakh (Plan) as on 31 March, 2014.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homeopathy, Ghaziabad as at 31st March, 2014; and

b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the 'deficit' for the year ended on that date.

For and on behalf of the CAG of India



Principal Director of Audit (Central)

Place: Lucknow
Date: 29.5.17

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal audit was not conducted during 2013-14 as the Commission did not have Internal Audit System of their own. Internal Audit Manual had also not been prepared by the Commission.

2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control System in the Commission reflected the following deficiencies:

- Internal audit was not conducted during the year 2013-14.
- Non-maintenance of head-wise Journal and Ledgers.
- Non-investment of idle funds amounting to ₹85.75 lakh.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

No fixed assets was purchased during the year 2013-14, hence physical verification of fixed assets was not required.

4. System of Physical Verification of Inventories.

No store items/assets were purchased during the year 2013-14, hence the physical verification of inventory was not required.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Commission was regular in payment of statutory dues and no dues were pending against it as on 31 March, 2014.


Director of Audit (CE)
24/5/17